राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प.5(1) निपेन्वे/नियम/99/पार्ट-III 2501-42 H दिनांक: 02.09.2015

कोषाधिकारी,

समस्त...

राजस्थान, जयपुर।

विषय :— डिजिटल जीवन प्रमाण—पत्र हेतु।

महोदय,

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के अनुसार वर्ष 2015—16 से राज्य के पेंशनर्स के लिए **Digital Life Certificate** की सुविधा लागू की जानी है। इस सुविधा से बिना स्वंय बैंक जाये आधार **Based** बॉयोमेट्रिक पहचान के द्वारा पेंशनर्स अपने निवास, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा मोबाइल से बैंक को **Digital Life Certificate** प्रस्तुत कर सकेंगे।

अधिकांश पेंशनर्स द्वारा अपने आधार कार्ड नंबर का पंजीकरण अपने पेंशन अकाउण्ट में करवा दिया गया है। शेष रहे पेंशनर्स से अनुरोध किया जाना है कि वे शीघ्र ही अपनी पेंशन प्रदाता बैंक शाखा से अपने आधार कार्ड की प्रतिलिपि के साथ सम्पर्क करें। इस संबंध में पेंशनर्स को प्रेरित करने हेतु कृपया कोष/उपकोष कार्यालय में कैंम्पों का आयोजन करना सुनिश्चित करावें। साथ ही निदेशक कोष एवं लेखा विभाग द्वारा आपको पूर्व में संदर्भित पत्र क्र0 एफ.5(थ—1) कोष/पेंशन/2014—15/3260—3298 दिनांक 16.04.2015 के क्रम में पुनः प्रैस विज्ञप्ति जारी करने की कार्यवाही भी करावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

(के.के गैडियोक)
निदेशक

प्रतिलिपि :— निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव (बीमा/पेंशन), सचिवालय,राजस्थान जयपुर।
2. निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।

निदेशक

Bhavna A